

बिहार सरकार
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय
बिहार, पटना।

सं०सं०- डी०एफ०पी०/एफ०१-३३/२०१७

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3590 दिनांक 24.05.2017 द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से सप्तम वेतन पुनरीक्षण के तहत पुनरीक्षित वेतन संरचना स्वीकृत किये जाने एवं वित्त विभागीय पत्रांक 3651 दिनांक 25.05.2017 तथा पत्रांक 3686 दिनांक 26.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित कुल 03 (तीन) कर्मियों का उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर संलग्न विवरणी के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाता है।

- उक्त वेतन निर्धारण का आर्थिक लाभ दिनांक 01.04.2017 से देय होगा।
- महँगाई भत्ता दिनांक 01.04.2017 को 04 (चार) प्रतिशत की दर से देय होगा।
- अन्य सभी अनुमान्य भत्ते अपुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर ही देय होगा।
- उक्त निर्धारण वेतन संबंधित, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा एक वर्ष के अन्दर सक्षम प्राधिकार से सत्यापित कराये जाने तक औपबंधिक समझा जायेगा।
- उक्त वेतन निर्धारण के संबंध में भविष्य में कोई त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उसे रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

अनुलग्नक :- वेतन निर्धारण विवरणी।

ह०/-
निदेशक
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-
सं०सं०- डी०एफ०पी०/एफ०१-३३/२०१७

पटना

दिनांक :-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
निदेशक
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 523
सं०सं०- डी०एफ०पी०/एफ०१-३३/२०१७

पटना

दिनांक :- 26/7/17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले. एवं हक.), वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना/उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में)/श्री सुधांशु शेखर, उद्योग विस्तार पदाधिकारी/श्री रंजीत कुमार रंजन, सहायक/श्री राजीव सिन्हा, निम्नवर्गीय लिपिक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आई.टी. मैनेजर उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय
बिहार, पटना।